न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 252–दो/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2002 पारित द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 25/पुर्नविलोकन/01–02.

.....

रामकरण चमार तनय भीरू चमार
निवासी असनी, तहसील सिंगरौली जिला सीधी म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 सुद्धू पनिका तनय गोपाल पनिका
निवासी असनी, तहसील सिगरौली जिला सीधी म0 प्र0
2 शासन म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमति रजनी वशिष्ठ, अनावेदक कमांक –2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/9/15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण. कमांक 252–दो/03, अतिरिक्त आयुक्त, रीवा के पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 25/पुर्नविलोकन/01–02 में पारित आदेश दिनांक 24–6–2002 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुआ है ।

2/ अपर आयुक्त द्वारा अपने इस पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 24–6–2002 के माध्यम अपने ही न्यायालय के प्रकरण कमांक 89/निगरानी/01–02 में पारित आदेश दिनांक 4–6–2002 को स्थिर रखा गया है । अपने दोनों आदेशों, यथा आदेश दिनांक 24–6–2002 एवं आदेश दिनांक 4–6–2002 में, अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष अपर कलेक्टर, बैढ़न जिला सीधी द्वारा उनके प्रकरण कमांक 275/निग0/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 21–3–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी को समयबाधित मानते हुए, अपर आयुक्त के समक्ष निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन दिनांक 3–6–2002 को अमान्य किया गया है । आधार यह लिया गया है कि अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 21–3–2002 को पारित था, जिसके 60 दिवस के भीतर, यानि 22–5–2002 तक में, अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होनी चाहिए थी, जबकि उनके (अपर आयुक्त के) समक्ष निगरानी 3–6–2002 को प्रस्तुत हुई । आदेश दिनांक 24–6–2002 में यह भी लिखा है कि अपर कलेक्टर के आदेश की नकल निगराकार को 28–5–2002 को चूँकि प्राप्त हो चुकी थी, अतः पहले ही हो चुके विलंब के दृष्टिगत 28–5–2002 के ठीक बाद, यानि 29–5–2002 को उनके समक्ष निगरानी दायर कर दी जानी चाहिये थी, जो नहीं की गई, जिस कारण प्रकरण समयबाधित मानकर उन्होंने (अपर आयुक्त ने) दोनों बार (दिनांक 4–6–2002 एवं दिनांक 24–6–2002 को) खारिज किया ।

3/ प्रकरण का इसके पूर्व का संक्षेप यह है कि निगराकार रामकरण के पक्ष में विवादाधीन शासकीय भूमि पर तहसीलदार सिंगरौली द्वारा व्यवस्थापन आदेश जारी किया था । इस आदेश के विरूद्ध (राजस्व मण्डल के वर्तमान प्रकरण के) गैर निगराकार सुद्धू द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष निगरानी दायर की गई, जिस पर निगरानी प्रकरण कमांक 225/निग0/00–01 में पारित आदेश दिनांक 21–3–2002 के माध्यम से निगराकार रामकरण के हित में हुआ व्यवस्थापन आदेश

निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी दायर हुई, जिसे अपर आयुक्त ने समयबाधित मानकर खारिज कर दिया ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया । इस न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के समयबाह्य होने या नहीं होने संबंधी विनिश्चय करने का है । इसके उपरान्त, अगला प्रमुख बिन्दु अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आवेदन दिनांक 3–6–2002 समय बाह्य होने या नहीं होने के संबंध में विनिश्चय करने का है ।

5/ निगराकार रामकरण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मैमो में यह लिखा गया है कि वह हरिजन जाति का है और पढ़ा लिखा नहीं है । उसको दिनांक 4–2–2003 को अपर आयुक्त के समक्ष उसके द्वारा दायर निगरानी तत्समय प्रचलित नहीं होने संबंधी जानकारी मिली, जिसके बाद उसके द्वारा दिनांक 5–2–2003 को अपर आयुक्त के आदेश की नकल प्राप्त की गई । तथा दिनांक 7–2–2003 को राजस्व मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई । निगराकार द्वारा अपने निगरानी मैमो के साथ धारा 5 में विलंब माफी का आवेदन भी इस न्यायालय को दिया है । मेरे द्वारा इसी पैरा में पहले लिख दिये गये बिन्दुओं के प्रकाश में निगराकार को राजस्व मण्डल के समक्ष इस निगरानी को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिये माफी प्रदान की जाती है । साथ ही, न्यायहित में, इन्हीं कारणों के चलते मेरे द्वारा निगराकार रामकरण को अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलंब के विरूद्ध शंका का लाभ (benefit of doubt) दिया जाता है। इसके साथ ही यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में गुणदोष के आधार पर, समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, विधि के प्रावधानों के अनुसार,

बोलता हुआ आदेश पारित करें । प्रकरण समाप्त किया जाता है । दा0द0 हो । पक्षकार सूचित हो । अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड वापस हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर